न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1066 / 2024
अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार भागमल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. गोरीशंकर पुत्र भागमल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दयाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. भागमल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
7. शकिला पुत्री दयाराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
8. ज्योति पुत्री भागमल जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -18/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 42 / 32 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 50 / 50 की कुल 11.9400 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है ख्यालीराम पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि पर वादीगण काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी[illegible] को कई [illegible] कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.20 19:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ख्यालीराम, पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है ख्यालीराम पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 42/32 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 50/50 की कुल 11.9400 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है ख्यालीराम पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.20 19:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 ने वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि पर वादीगण काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 42/32 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 50/50 की कुल 11.9400 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है, में ख्यालीराम पुत्र कानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.20 19:04:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1066/2024

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार भागमल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. गोरीशंकर पुत्र भागमल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दयाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. भागमल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
7. शकिला पुत्री दयाराम जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
8. ज्योति पुत्री भागमल जाति जाट साकिन साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1066 सन 2024 निर्णय दिनांक -18/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 42/32 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 50/50 की कुल 11.9400 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है, में ख्यालीराम पुत्र कानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.20 19:04:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर